

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
भोपालसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत  
निवासी सादडा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/585  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हूये
26 09 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सादडा स्थित भूमि खसरा नंबर 656 रकबा 2.2700 हेक्टर किस्म बरानी दायम कुल लगान 11.3500 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, लाटाडा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण  
भोपालसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत  
निवासी सादडा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/585  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्ई व ..... मिनजानिक मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सादडा स्थित भूमि खसरा नंबर 656 रकबा 2.2700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 11.35 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, लाटाडा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ~~26-07-25~~ को जारी की गई।



3  
(दिनेश विश्नोई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 16/09/2025 03:51:25 PM


जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : मुण्डारा

गारी हल्का : लाटाडा

ग्राम : सादडा



रणवीरसिंह

हुकूमसिंह, भोपालसिंह  
पि. सोहनसिंह



*[Handwritten signature]*  
 P. K. Senari

Scale 1:4000

खसरा संख्या : 656 क्षेत्रफल : 2.2700 Hectare खाता संख्या : 272 पुराना खाता संख्या : 272

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी दौयम [ 2.2700, 11.35 ]

1.) भोपालसिंह पुत्र सोहनसिंह हिस्सा- 1/3 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

2.) रणवीरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हिस्सा- 1/3 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा LATADHA

3.) हुकूमसिंह पुत्र सोहनसिंह हिस्सा- 1/3 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

बंटाडा हेतु उपयोग में  
उपयुक्त जमी

रणवीरसिंह हुकूमसिंह *[Handwritten signature]*

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

18/09/25

पटवारी  
 पटवार मंडल लाटाडा  
 तहसील-बाली

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. प्रविष्टियों में संशोधन/सुस्थापित प्रतिलिपि हेतु संबंधित जिला/तहसील न्यायालय में संपर्क करें।

*[Handwritten signature]*  
 18/9/25

शिविर प्रभारी अधिकारी  
 ग्रामीण सेवा शिविर  
 तहसीलदार... *[Handwritten signature]*